भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 402
दिनांक 04.02.2020/ 15 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रभाव

†402. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटन, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योगों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) कश्मीर घाटी में गत 24 महीनों के दौरान मासिक औसत रोजगार दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) इंटरनेट बंद होने के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय मदद के माध्यम से वापस पटरी पर लाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (च): विगत 70 वर्षों से जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों की सम्पूर्ण आर्थिक क्षमता का लाभ नहीं उठाया जा सका, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को पिछले कई दशकों से सीमा पार से समर्थित आतंकवादी हिंसा और अलगाववाद का सामना करना पड़ा है। अनुच्छेद 35क और कतिपय अन्य संवैधानिक कठिनाइयों के कारण, इस क्षेत्र के लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित पूर्ण अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय कानूनों के उन अन्य लाभों से वंचित थे, जो देश के अन्य नागरिकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे।

संसद की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत एक घोषणा जारी की गई थी और पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू और

कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था, जिससे ऐसी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। जम्मू और कश्मीर के लोग अब देश के अन्य भागों की तरह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पूरी क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। हाल के इन निर्णयों के कारण, शुरूआत में कतिपय एहतियाती कदम उठाए गए थे, जिनमें बाद में ढील दे दी गई है।

जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सूचित किया गया है, घाटी में कृषि संबंधी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। वित्त वर्ष 2019-20 (जनवरी, 2020 तक) के दौरान, 18.34 लाख मीट्रिक टन ताजे फल (सेब) भेजे गए हैं। बागवानी क्षेत्र में, भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2019 में शुरू की गई बाजार पहल स्कीमों (एमआईएस) के तहत, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के माध्यम से कश्मीर घाटी में दिनांक 28 जनवरी, 2020 तक उत्पादकों से सीधे ही 70.45 करोड़ रुपये मूल्य के 15769.38 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई है। इस स्कीम को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2019 के दौरान रेशम कीट पालन के क्षेत्र में, 813 मीट्रिक टन रेशम के कोकूनों का उत्पादन दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान, 688.26 करोड़ रुपये मूल्य के हस्तशिल्प का निर्यात किया गया। विभिन्न पर्यटन प्रोत्साहन अभियान भी शुरू किए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पिछली बार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए किए गए आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कामगार-जनसंख्या अनुपात 51% है।

भारत सरकार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 80,068 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, बागवानी, कौशल विकास क्षेत्र आदि में प्रमुख विकास परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी केन्द्रित स्कीमों सहित कई प्रमुख स्कीमें सक्रियता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

****